22/7/08

59

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR (LOCAL AUDIT WING), PATNA –800 001

NO. L.A.Sur/ 1044 **Dated: -** 11/7/08

To,

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development Department,
Patna.

श्री संजीव
24/07/08

Sir,

Audit Report No. **96/2008-09** on the accounts of **Nagar Panchayat, Jainagar** for the Period **2001-02 to 2006-07** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours faithfully

11/7/08

(Bhairab Kumar)
Audit Officer/Surcharge
Local Audit Wing, Bihar, Patna

Encl: -As above

24/7/08

3204
23/7/08

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 96/2008-09

1. **प्रस्तावना** :-

जयनगर नगर पंचायत के वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2006-07 तक के लेखाओं की नमूना जाँच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना के एक लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 18.02.2008 से 29.03.2008 की अवधि में किया गया ।

2. **प्रशासन** :-

लेखा परीक्षा अवधि में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी थे ।

कम सं0	नाम	अवधि
(क)	अध्यक्ष :-	
(i)	श्री राम चन्द्र पासवान	15.06.02 से 13.11.03 तक
(ii)	श्री जय नारायण यादव	14.11.03 से 16.12.03 तक
(iii)	श्री कैलाश पासवान	17.12.03 से 26.09.06 तक
(iv)	श्री जय नारायण यादव	27.09.06 से 11.02.07 तक
(v)	श्री राम चन्द्र पासवान	12.02.07 से 31.03.07 तक
(ख)	उपाध्यक्ष :-	
(i)	श्री जय नारायण यादव	15.06.02 से 13.11.03 तक
(ii)	श्री जय नारायण यादव	17.12.03 से 26.09.06 तक
(iii)	श्री जय नारायण यादव	12.02.07 से 31.03.07 तक
(ग)	कार्यपालक पदाधिकारी :-	
(i)	श्री गरीब साहू	01.04.01 से 31.05.03 तक
(ii)	श्री गोपाल कृष्ण परमहंस	01.06.03 से 31.07.04 तक
(iii)	श्री सुरेन्द्र कुमार	01.08.04 से 23.10.05 तक
(iv)	श्री सुनील कुमार रंजन	24.10.05 से 31.01.06 तक
(v)	श्री नारायण कुमार भारती	01.02.06 से 30.09.06 तक
(vi)	श्री दिनेश राम	01.10.06 से 31.03.07 तक

3. **लेखा परीक्षा का क्षेत्र** :-

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट (i) में तथा लेखा परीक्षा में प्रस्तृत नहीं किये गये अथवा असंधारित अभिलेखों एवं बहियों की सूची परिशिष्ट (ii) में दिया गया हैं ।

4. **पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन** :-

पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के निष्पादन से संबंधित स्थिति निम्नलिखित है ।

57

कम सं	प्रतिवेदन सं0	लेखा परीक्षा अवधि	निष्पादित कंडिका	लंबित कंडिका	विवरण
1.	119/91-92	86-87से 90-91	1 से 4, 11, 14(2), 14(4)	प्रतिवेदन का शेष कंडिका	पत्र सं0 L.A.sur 4/ 12221-316/2.3. 93
2.	66/93-94	91-92से 92-93	1 से 7, 9 से 13, 17, 18, 21, 22	8,14,से 16,19,20	पत्र सं0 L.A.sur 4/ 12484-275/30. 9.99
3.	13/96-97	93-94से 95-96	1 से 13,17 से 19, 22 से 26, 28	14से 16,20से 21,27	पत्र सं0 L.A.sur 4/ 12809-261/23. 9.99
4.	115/00-01	96-97	सभी कंडिका यथावत है ।		
5.	67/01-02	97-98से 2000-01	16 कंडिका के निष्पादन हेतु सुझाव दिया गया है		

लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में निहित आपत्तियों का अनुपालन नहीं किए जाने से लेखा परीक्षा का उद्देश्य निष्फल हो जाता है अतएव कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अविलम्ब कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर निष्पादन हेतु लेखा परीक्षा कार्यालय को भेजा जाए ।

5. <u>आंतरिक लेखा परीक्षा</u> :-

बिहार एवं उड़ीसा नगर निगम अधिनियम 1922 अथवा इसके नियमों में आंतरिक लेखा परीक्षा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है । किन्तु बिहार नगर निगम लेखा नियम - 1928 (नियम 20,64 एवं 73 (क) इत्यादि) में यह उपबंधित है कि आंतरिक जाँच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी जिसे प्राधिकृत किया जाए के द्वारा किया जाएगा । इस तरह की जाँच की व्यवस्था उचित नियंत्रण अभिलेखों के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता को दूर करने हेतु की गई थी ।

किन्तु अक्त जाँच नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा नहीं की गयी, जिसके कारण निम्नलिखित अनियमितताएँ हुई, जिसका उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

अतः सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध है कि नियम के उपबन्धों के अनुरूप जाँच की व्यवस्था की जाए ताकि किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता से बचा जा सके तथा अभिलेखों का उचित संधारण हो सके ।

6. अंकेक्षण की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ :-

कम सं0	कंडिका सं0	राशि	विवरण
1.	12	10,371	नहीं/कम जमा
2.	13	24,514	लेखा परीक्षा के दौरान जमा करायी गयी राशि
3.	14	14,000	बंदोबस्ती की राशि की कम वसूली
4.	20	25,28,834.64	शिक्षा एवं स्वास्थय उपकर की राशि जमा नहीं
5.	21	76,05,000	योजना में किये गये व्यय एवं अग्रिम की वसूली
6.	22	41,000	बालिका समृद्धि योजना (अनियमित भुगतान)
7.	25	8,81,700	रा0गं0ब0वि0कार्य0
8.	27(क से घ)	90,375	अधिक भुगतान
9.	28	9,970	अनियमित भुगतान
10.	29	2,44,500	निष्फल व्यय
11.	30	1,86,280	अग्रिम की वसूली
12.	31	6,45,418	रॉयल्टी एवं बिक्री कर की कम कटौती /अधिक भुगतान
13.	32	6,77,264	दैनिक मजदूरी पर भुगतान
14.	33(i)	38,40,308.70	अग्रिम का समायोजन/वसूली

7. अधिदृश्य :-

अंकेक्षण अवधि में नगर पंचायत का सभी आय-व्यय को अंकित करने हेतु सिर्फ एक लेखापाल रोकड़बही एवं उससे संबधित तीन बैंक खाते संधारित थे, फलस्वरूप कई योजनाओं का आय-व्यय एवं स्वंय के श्रोतों से आय एवं व्यय बुरी तरह मिला हुआ था । रोकड़ बही में खर्चो का शीर्ष भी नहीं दर्शाया गया था । वर्ष के अन्त में अन्तशेष का विश्लेषण भी नहीं तैयार किया गया अतएव लेखा परीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका की किस योजना की कितनी राशि अव्यवहृत है।

नगर पंचायत में आय-व्यय का मासिक त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा भी संधारित नहीं था । इन परिस्थितियों में नगर पंचायत की वर्ष वार वित्तीय स्थिति तय करना बहुत कठीन था फिर भी अंकेक्षण में काफी प्रयास के बाद वित्तीय स्थिति का व्यौरा किया गया जो निम्नलिखित हैं ।

कम सं0	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1.	प्रारम्भिक शेष	4255573.68	1536629.68	460803.29	1765238.76	2563852.06	2422212.65
2.	प्राप्ति	7186365	1466374.61	5939818.47	4196587.30	5126279.59	22303762.54
3.	कुल प्राप्ति	11441938.68	3003004.29	6400621.76	5961826.06	7690131.65	24725975.19
4.	व्यय	9905309	2542201	4639383	3397974	5267919	10775325.40
5.	अन्त शेष	1536629.68	460803.29	1765238.76	2563852.06	2422212.65	13950649.79

विस्तृत विवरणी परिशिष्ट III पर दी गयी हैं ।

55

उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि नगर पंचायत जयनगर का स्वंय के स्त्रोतों से आय में 20047-05 से 2006-07 के दौरान ह्रास हुआ है तथा स्थापना व्यय में वृद्धि हुयी है एवं नगर पंचायत को स्वंय के स्त्रोतों से इतना भी आय नहीं है कि स्थापना एवं अन्य व्यय का निर्वहन किया जा सके ।

अतएव सक्षम पदाधिकारी का घ्यान इस ओर अपेक्षित है कि स्वंय के स्त्रोतों से आय की वृद्धि की दिशा में समुचित कदम उठायें जाएँ तथा स्थापना एवं अन्य व्यय को कम किया जाए ।

8. <u>रोकड़ बही की त्रुटियाँ</u> :-

रोकड़ बही में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी :-

(क) प्राप्ति एवं व्यय का विस्तृत विवरण दर्ज नहीं था ।

(ख) वर्ष के अन्त में प्राप्ति एवं व्यय का सार नहीं तैयार किया गया था ।

(ग) वर्ष के अन्त में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गयी थी ।

(घ) व्ययों का वर्गीकरण नहीं किया गया था ।

(ड0) भारतीय स्टेट बैंक ने चेक सं0 883174 दिनांक 12.01.02 के द्वारा 1,50,000 रू0 की राशि को वापस किया जो उसे अनुदान के रूप में मिला था किन्तु उक्त वापस की हुई राशि का जमा बैंक स्टेटमैन्ट / पासबुक में नहीं पाया गया अतएव उक्त राशि के जमा के संबंध में बैंक से पत्राचार किया जाए तथा राशि का जमा अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाए ।

9. <u>समाधान विवरणी</u> :-

रोकड़ बही एवं बैंक खाता का 31.03.07 को संवरण कोष निम्नलिखित हैं ।

कम सं0	रोकड़बही का नाम	31.3.07 को रोकड़ बही का शेष	31.3.07 को बैंक खाता का शेष	अन्तर	बैंक खाता का नाम/ खाता सं0
1.	लेखापाल रोकड़ बही	13950649.79	12487627.88		भारतीय स्टेट बैंक, जयनगर बचत सं0 11464651828
			1138062.05		भारतीय स्टेट बैंक, जयनगर चालु खाता सं0 11464598056
			36526.97		पंजाब नेशनल बैंक, जयनगर चालु खता सं0 673
	कुल	13950649.79	13662216.90	288432.89	

लेखापाल रोकड़ बही एवं बैंक खातों का 31.03.2007 को अतं शेषों का अंतर 2,88,432.89 रू0 का समाधान विवरणी तैयार कर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए ।

10. <u>सरकारी अनुदान</u> :-

नगर पंचायत जयनगर के द्वारा सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था । जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2001-02 से पूर्व का अव्ययित अनुदान की राशि का पता नहीं चल सका । वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2006-07 के दौरान नगर पंचायत को निम्नलिखित अनुदान की राशि प्राप्त हुई ।

कम सं0	वित्तीय वर्ष	वेतन हेतु	एकादश वित्त आयोग	द्वादश वित्त आयोग	स्वर्ण जयंती शहरी रो0यो0	रा0गं0व0 वि0कार्य0	सड़क की मरम्मति हेतु	जनगणना हेतु	कुल राशि
1	2001-02	296593	-	-	-	3819000	300000	56825	4472418
2	2002-03	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2003-04	560183	676813	-	124500	1698000	-	5000 वी0 पी0 एल0सर्वे	3064496
4	2004-05	-	338407	-	105000	967000	-	-	1410407
5	2005-06	271206	-	410207	131000	1300000	-	-	2112413
6	2006-07	542417	-	196656	781198	25000	17600000 सी0वि0यो0 425000 मशीनों के क्रय हेतु	8760 58479 वी0 पी0 एल0सर्वे	19637510
		1670399	1015220	606863	1141698	7809000	18325000	129064	30697244

विस्तृत विवरणी परिशिष्ट -IV पर दी गयी है ।

अनुदान पंजी का संधारण नहीं किये जाने से राशि का व्यय उसी मद में किया गया, जिस मद के लिए राशि प्रदान की गयी थी की जॉंच नहीं की जा सकी।

योजना पंजी एवं अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया तथा रोकड़ बही में व्ययों का वर्गीकरण तथा विस्तृत विवरण अंकित नहीं किये जाने के कारण योजनानुसार अव्ययित अनुदान की राशि का पता नहीं लगया जा सका।

उक्त बहियों एवं दस्तावेजों को संधारित कर अगली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए ताकि उक्त वॉंछित जानकारी प्राप्त हो सके।

11. <u>सरकारी ऋण</u> :-

नगर पंचायत जयनगर के द्वारा सरकारी ऋण पंजी एवं ऋण विनियोग पंजी का संधारण नहीं किया गया जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2001-02 से

53

पूर्व का ऋण एवं वापस करने का किस्त तथा सूद इत्यादि का पता नहीं लगाया जा सका ।

वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2006-07 के दौरान सरकार ने कुल 14,55,708 रू0 के ऋण की स्वीकृति दी जिसमें से 3,63,926 रू0 अर्थात स्वीकृत ऋण का 25% पूर्व ऋण की वापसी एवं सूद की राशि काट कर मात्र 10,91,782 रू0 (14,55,708-3,63,926) प्रदान किया । जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट -V पर दिया गया है । उक्त ऋण की स्वीकृति प्रायः कर्मचारियों के वेतन मद के लिए किया गया था ।

ऋण की राशि को नगर पंचायत निधि में सम्मिलित किया गया तथा यह दिखाया गया कि ऋण की राशि का व्यय उसी मद में किया गया जिसके लिए ऋण प्रदान किया गया था ।

सरकारी ऋण पंजी एवं ऋण विनियोग पंजी का संधारण अतिशीघ्र किया जाए ताकि उपर्युक्त वाँछित जानकारी प्राप्त हो सके ।

12. <u>नहीं जमा / कम जमा</u> :-

वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2006-07 के दौरान विभिन्न कर संग्रहकर्त्ताओं एवं रोकड़पाल तथा प्रधान सहायक के द्वारा कुल मो0 रू0 10,371.00 की राशि विभिन्न मदों से राजस्व के रूप में प्राप्त की गयी किन्तु उक्त राशि को नगर पंचायत के खाते में जमा नहीं किया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट VI पर दिया गया है ।

अतएवं उक्त नहीं / कम जमा की राशि रू0 10,371.00 की वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से कर के नगर पंचायत निधि में जमा करा दिया जाए ।

13. <u>लेखा परीक्षा के दौरान जमा करायी गयी राशि</u> :-

वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2006-07 के दौरान विभिन्न मदों से कर संग्रहकर्त्ताओं द्वारा राजस्व की वसूली की गयी राशि कुल मो0 रू0 24,514.00 को लेखा परीक्षा के द्वारा संबंधित कर संग्रहकर्त्ताओं से जमा कराया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट - **VII** पर दिया गया है ।

14. <u>बंदोबस्ती की राशि की कम वसूली</u> :-

वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2006-07 की बन्दोबस्ती संचिका के अवलोकन के दौरान पाया गया कि कुछ बंदोबस्तकार से बंदोबस्ती की राशि

से कम रूपये की वसूली की गयी थी जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है ।

क्रम सं0	बंदोबस्ती का नाम /अवधि	बंदोस्तकार का नाम	बन्दोबस्ती की राशि रू0 में	राशि की विविध रसीद रू0 में	वसूली की तिथि	राशि रू0 में	कम वसूली रू0 में
1.	भाड़े पर चलने वाले ट्रक, टैकर, टैक्टर, 407 इत्यादि से टैक्स वसूली 2002-03	श्री शिवजी कुमार	203900	745	26.3.02	145500	
				773	2.8.02	15000	
				782	9.9.02	10000	
				795	31.10.02	15000	
				334	26.3.03	8400	
						193900	10000
2.	सड़कों के अगल-बगल जमीन की ग्राउन्ड रेंट वसूली 2003-04	श्री लक्ष्मी यादव	154000	340	31.3.03	100000	
				383	14.10.03	50000	
						150000	4000
				कुल			14000

उक्त बंदोबस्तकारों से कुल मो0 14,000 रू0 की कम वसूली की गयी तथा संबंधित संचिका के अनुसार नगर पंचायत के द्वारा उक्त राशि की वसूली की दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप उक्त राशि काल बाधित हुई और अब राशि की वसूली कानूनी तरीके से भी नहीं की जा सकती है । अतः नगर पंचायत को कुल मो0 14,000 रू0 की हानि हुई ।

अतएव स्थानीय लेखा परीक्षक को सूचित किया जाता है कि क्यों नहीं उक्त हानि की राशि की वसूली बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1925 की धारा 9(i)(b) के तहत अधिभार के द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों से वसूली की जाए जो उक्त हानि के जिम्मेवार हैं ।

कम सं0	नाम	पदनाम	अधिभार के द्वारा वसूली हेतु सूझावी गयी राशि
1	श्री गरीब साहू	कार्यपालक पदाधिकारी	14,000
2	शुभकान्त झा	प्रधान सहायक	

15. <u>रसीद प्रस्तुत नहीं</u> :-

नगर पंचायत जयनगर के द्वारा कुछ रसीद लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट -VIII पर दिया गया है।

51

अतएव उक्त रसीदों के द्वारा वसूली राशि के जमा की जाँच नहीं की जा सकी । अतः उक्त रसीद को अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तृत किया जाए ।

16. <u>वार्षिक लेखा</u> :–

बिहार नगर पालिका अधिनियम 1928 की धारा 82 एवं 83 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2001–02 से 2006–07 तक का मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किया गया । अतएव उक्त लेखाओं का संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए ।

17. <u>मांग एवं वसूली पंजी</u> :–

मांग एवं वसूली पंजी नगर पंचायत की मुख्य पंजी होती है । जिसमें नगर पंचायत करों जैसें मकान कर, शिक्षा कर एवं स्वास्थ्य कर इत्यादि से संबद्ध मांग एवं वसूली पंजी का संधारण किया जाता हैं, परन्तु इसका संधारण अंकेक्षण अवधि एवं इसके पूर्व भी नहीं किया गया । इसके अभाव में मांग, वसूली एवं बकाया की राशि का पता अंकेक्षण में नहीं लगाया जा सका ।

मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किये जाने के कारण करों की वसूली पर पंचायत का कोई भी नियंत्रण नहीं हैं तथा कर संग्रहकों के द्वारा वसूली (सही या कम) की गयी राशि की जाँच भी नहीं की जा सकती है अतएव कर संग्रहकों के द्वारा वसूली की गयी राशि को कार्यपालक पदाधिकारी सही मानने के लिए बाध्य हैं फलस्वरूप कर संग्रह में अन्दरूनी अनियमितताओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतएव सक्षम पदाधिकारी का ध्यान इस ओर अपेक्षित है कि अतिशीघ्र माँग एवं वसूली पंजी का संधारण किया जाए ताकि कर संग्रहकों द्वारा कर संग्रह में भावी अनियमितताओं पर नियत्रण किया जा सके ।

पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 115/2000–01 एवं 67/01–02 के अनुसार मकान कर, पखाना कर एवं जलकर का 31.03.01 को बकाया राशि क्रमशः 12,62,129.55, रू0 6,95,910.46 तथा रू0 10,33,242.01 था तथा मांग क्रमशः रू0 2,91,194.60, रू0 1,72,740.20 एवं रू0 2,69,407 था ।

2001–02 से 2006–07 के रोकड़ बही के अनुसार मकान, पखाना एवं जल कर की वसूली राशि तथा उक्त पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा

प्रतिवेदन के अधार पर 31.03.07 को बकाया करों की राशि रू0 19,25,178.51 थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट –XI पर दिया गया हैं । उक्त अवधि में करों की वसूली का प्रतिशत 2.01 से 58.36 था ।

अतएवं सक्षम पदाधिकारी का ध्यान इस ओर अपेक्षित है कि वसूली कि गयी राशि की स्थिति में सुधार किया जाए तथा उक्त करों की वास्तविक माँग एवं वसूली की सूची तैयार की जाए और 31.03.07 को बकाया करों की व्यक्तिगत सूची भी तैयार करके अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाए ।

मांग एवं वसूली पंजी के संधारण नहीं होने के कारण निम्निलिखित करों का बकाया एवं चालु मांग पता नहीं चल सका ।

1. पेशा कर ।
2. खतरानाक एवं भयावह व्यवसाय ।
3. खाद्य अनुज्ञप्ति शुल्क ।
4. नियत मांग ।
5. मुख्य कर ।

18. <u>निरस्त</u> :–

19. <u>निरस्त</u> :–

20. <u>शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर</u> :–

बिहार एवं उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम 1922 तथा पटना नगर निगम अधिनियम 1951,1959 तथा 1972 के अनुसार नगर पंचायत को शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर के मद में वसूली करने का प्रावधान किया गया जमा तथा उक्त करों का 10% वसूली प्रभार काटकर शेष राशि को सरकारी खाते में जमा करना था किन्तु नगर पंचायत जयनगर के द्वारा आज तक (मार्च 2008) कोई भी राशि उक्त मद में जमा नहीं की गयी । जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है ।

क0सं0	वर्ष	शिक्षाकर	स्वास्थ्य कर	कुल राशि
1	2001–02	131213.35	131202.40	262415.75
2	2002–03	97860.30	97856.40	195716.70
3	2003–04	111276.65	111259.15	222535.80
4	2004–05	102777.00	102772.80	205549.80
5	2005–06	87449.35	87440.65	174890.00
6	2006–07	52714.80	52701.40	105416.20
		583291.45	583232.80	1166524.25
घटाव 10% वसूली प्रभार		58330.00	58323.00	116653.00
कुल		524961.45	524909.80	1049871.05

पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार 1964-65 से जमा नहीं की गयी राशि का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है ।

कम सं0	वर्ष	राशि	विवरण
1	1964-65से90-91	427390.76	प्रतिवेदन सं0 119/91-92
2	1991-92से92-93	141016.66	-तथैव- 66/93-94
3	1993-94से95-96	196310.52	-तथैव- 13/96-97
4	1996-97	199874.25	-तथैव- 115/2000-01
5	1997-98से2000-01	514363.00	-तथैव-67/01-02
		1478955.39	

अतएव उक्त वर्णित शेष राशि रू0 25,28,834.64(10,49,879.25+14,78,955.39) को संबंधित सरकार के कोष में जमा करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाए ।

21. <u>सीमा विकास योजना</u> :-

राज्य सरकार ने सीमा विकास योजना के अन्तर्गत जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क निर्माण से संबधित 30 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए पत्र संख्या न0वि0वि0970 दिनांक 23.03.2006 के द्वारा रू0 176.00 लाख नगर पंचायत को निर्गत किया जो नगर पंचायत को दिनांक 12.04.2006 को प्राप्त हुआ । वर्ष 2006-2007 के दौरान नगर पंचायत ने रू0 1,40,12,303.00 की प्राक्कलित राशि पर 20 योजनाएँ ली जिनके कार्यान्वयन के लिए अभिकर्त्ता को रू0 76.05 लाख अग्रिम दिया गया । इस बीच योजनाओं के कार्यान्वयन में बरती जा रही अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई जो जिलाधिकारी द्वारा जाँच में सही पाई गई । जिसके विरूद्ध थाना कांड संख्या 171/06 में दिनांक 30.09.2006 प्राथमिकी दर्ज करा दिया गया और दिनांक 30.09.2006 के प्रभाव से निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया । दिये गये अग्रिम की स्थिति इस प्रकार थी :-

1.	श्री सूर्य देव प्रसाद सिंह, अमीन	रू0 67,97,500
2.	श्री राज कुमार सिंह, सहायक	रू0 7,00,000
3.	श्री विमल कुमार चौधरी, सहायक	रू0 1,07,500
कुल योग		रू0 76,05,000

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट -X पर दिया गया है)

प्राथमिकी दायर होने के बाद (30.09.2006) अभिकर्त्ता को आदेश किया गया कि वो किये गये कार्यो को ब्योरा, मापी पुस्तिका इत्यादि समर्पित कर दें । अभिकर्त्ता द्वारा समर्पित कागजातों से स्पष्ट था कि किये गये कार्य की लागत करीब रू0 25,26,229.00 थी । और शेष राशि

रू0 50,78,771 अभिकर्त्ता को पास अब्यवहृत अग्रिम के रूप में थें । 31 मार्च, 2007 तक यही स्थिति थी और उसके बाद कोई भी निर्माण कार्य आगे नही किया गया ।

अंकेक्षण टिप्पणी :-

(i) नियमानुसार द्वितीय अग्रिम प्रथम अग्रिम के लेखा प्राप्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए था लेकिन आवश्यकता की जाँच किये बिना एक के बाद दूसरा अग्रिम स्वतः दिया गया जो नियम के विरूद्ध था ।

(ii) रू0 25,26,229 की लागत पर किया गया कार्य अधूरा था जो दो वर्ष का समय बीत जाने पर निष्फल हो चुका है । बचे हुए शेष कार्य को प्राक्कलित राशि की शेष राशि में पूर्ण करना भी असंभव है । अतः रू0 25,26,229 के निष्फल व्यय को दोषी व्यक्तियों से वसूल कर पंचायत निधि कोष में जमा करा दिया जाय ।

(iii) शेष अग्रिम की राशि रू0 50,78,771 को संबंधित व्यक्तियों से यथाशीघ्र वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमा करा दिया जाये ।

22. <u>बालिका समृद्धि योजना अनियमित भुगतान</u> :-

बालिका समृद्धि योजना के तहत बालिका शिशु का जन्म देने वाली निर्धन माताओं को 500 रू0 की सहायता राशि देनी थी । इसके लिए 82 लाभार्थी को चुना गया और 500 रू0 प्रति लाभार्थी के दर से रू0 41,000 की निकासी चेक संख्या 884993 दिनांक 06.09.2002 से की गई । राशि का वितरण परिशिष्ट - XI में दर्शाये गये लाभार्थी के बीच वितरित दिखाया गया । लेकिन इस योजना में धोखा धड़ी और गलत भुगतान की शिकायत प्राप्त हुई जिसकी जाँच एस0डी0ओ0 (आरक्षी) द्वारा की गई और कुल 24 मामले गलत भुगतान के पाये गये । फलस्वरूप थाना कांड संख्या 67/06 दिनांक 01.05.2006 को प्राथमिकी दर्ज की गई और मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

न्यायालय के निर्णय के पश्चात तदनानुसार गलत भुगतान की राशि की वसूली की कार्यवाही की जाय ।

23. <u>एकादश वित्त आयोग</u> :-

नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2006-07 के दौरान एकादश वित्त आयोग के अंतर्गत 10,15,220 रू0 का अनुदान प्राप्त हुआ । योजना पंजी एवं सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किये जाने के

कारण एकादश वित्त आयोग में ली गयी योजनओं की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकी। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त मद से संबंधित 16 योजना संचिका प्रस्तुत की गयी जिसमें 14 योजनायें सड़क के निर्माण से संबंधित थी तथा एक –एक योजना क्रमशः नाली निर्माण तथा पेय जल (हैण्ड पम्प) के लिए कार्यान्वित की गयी। उक्त योजनाओं की प्राक्कलित राशि 17,45,237 रू0 थी जिसमें से 6 योजनाएँ पूर्ण की गयी और पूर्ण करने में 6,04,756 रू0 का व्यय हुआ। शेष 10 योजनाएँ मार्च 2008 तक अपूर्ण थीं तथा अपूर्ण योजनाओं में अभिकर्त्ता के पास 9,60,475 रू0 लंबित अग्रिम था जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट – **XII** पर दिया गया है।

अपूर्ण योजनाओं की भौतिक स्थिति की जाँच की जाए तथा लंबित अग्रिम के समायोजन अथवा वसूली की दिशा में समुचित कदम उठायें जाएँ।

24. <u>द्वादश वित्त आयोग</u> :–

नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2001–02 से 2006–07 के दौरान द्वादश वित्त आयोग के अंतर्गत 6,06,863 रू0 का अनुदान प्राप्त हुआ। द्वादश वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार अनुदान की राशि को निम्नलिखित प्रकार से व्यय करना था।

1. ठोस अवशिष्ट प्रबंधन 50% = रू0 3,03,432.00
2. प्रबंधन की दक्षता में सुधार/निर्माण 1% = रू0 6,069.00
3. ई –गवर्नेन्स 3% = रू0 18,206.00
4. नागरिक सुविधाएँ, पीने का पानी, सड़क, नाली इत्यादि 46% रू0 = <u>2,79,156.00</u>

रू0 6,06,863.00

उक्त आवंटन के विरूद्ध नगर पंचायत के द्वारा मात्र एक योजना भैपर लाइट लगाने की ली गयी जिसकी प्राक्कलित राशि रू0 2,79,157 थी तथा मेमर्स विन्टल इन्टरप्राइजेज पटना को 1,75,613 रू0 अभिश्रव संख्या 145 दिनांक 27.02.07 को दिया गया । 31 मार्च तक उक्त योजना अपूर्ण थी तथा रू0 4,31,250 अव्यवहृत था ।

अपूर्ण योजना को अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए तथा आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप शेष राशि को व्यय किया जाए ।

25. <u>राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना</u> :–

योजना का कार्यान्वयन जमीनी स्तर पर (नेवरहुड कमिटी) पड़ोस की समिति एवं सामुदायिक विकास समाज के द्वारा कराना था लेकिन इस नगर पंचायत में योजनाओं का कियान्वयन विभागीय स्तर पर कराया गया । इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करनी थी ।

(1) भौतिक सुविधाएँ :- पेय जलापुर्ति, रोशनी व्यवस्था, सामुदायिक स्नानघर, सामुदायिक शौचालय, गली का विकास इत्यादि

(2) सामुदायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर :- वेसिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, मनोरंजन कार्यकलाप

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन

(4) सामाजिक सुविधाएँ :- प्राथमिक स्कूल, मातृत्वगृह, शिशु स्वास्थ्य बैगरह

(5) शरण स्थली की व्यवस्था

लेकिन नगर पंचायत ने सिर्फ सड़क निमार्ण, नाला निर्माण, पेय जलापुर्ति एवं शौचालय से संबंधित कार्यक्रम लिए और अन्य सुविधाओं की अनदेखी को । अंकेक्षण अवधि के दौरान, नगर पंचायत को इस योजना के तहत रू0 78.09 लाख की राशि अनुदानस्वरूप प्राप्त हुई जिसमें 10% राशि यानि रू0 7,80,900 गरीब और बेघर लोगों के लिए गृह निर्माण पर प्रति ईकाई रू0 33,800 की दर से खर्च करनी थी । शेष राशि अन्य सुविधाओं हेतु व्यय करनी थी ।

नगर पंचायत द्वारा योजना पंजी का संधारण नहीं किया गया था इसलिए ली गई कुल योजनाओं की संख्या ज्ञात नहीं हो सकी । अंकेक्षण में कुल 61 योजना की संचिका प्रस्तुत की गई । संचिकाओं के अवलोकन से निम्नस्थिति स्पष्ट हुई -

(क) सड़क निर्माण /जिर्णोद्धार :-

नगर पंचायत ने ऐसी 27 योजनाएँ ली जिनकी प्राक्कलित राशि रू0 70,74,190 थी । इनमें 21 योजनाए रू0 59,49,320 की लागत पर पूरी कर ली गई और शेष 6 योजनाएँ जिन पर रू0 10,53,852 खर्च हो चुके थे, जो मार्च 2008 तक लंबित थी । इन योजनाओं की भौतिक समीक्षा करके व्यय की राशि /अग्रिम की वसूली /समायोजन की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है ।

(ख) नाला निर्माण से संबंधित दो योजनाएँ ली गई जिसकी प्राक्कलित राशि रू0 8,86,100 थी । ये योजनाएँ वर्ष 2005-2006 में शुरू की गई

और इन्हें पूरा करने के लिए अभिकर्त्ता को रू0 8,32,500 की अग्रिम दी गई थी ये योजनाएँ मार्च 2008 तक अपूर्ण पाई गई । योजनाओं की भौतिक स्थिति का निरीक्षण करके तदनुसार अग्रिम के समायोजन/ वसूली हेतु कदम उठायें जायें ।

(ग) चापाकल/ जलापूर्ति :– केवल दो योजनाएँ वर्ष 2002–2003 में रू0 1,27,300 की प्राक्कलित राशि पर ली गई जिनके विरूद्ध अभिकर्त्ता को रू0 1,14,000 अग्रिम भी दिया गया जो प्रक्कलित राशि के करीब था ये योजनाएँ मार्च 2008 तक अपूर्ण थी । इन परिस्थितियों में योजनाओं की भौतिक स्थिति का निरीक्षण करके अग्रिम की वसूली /सामंजन की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(घ) एक योजना दो शीट का शौचालय तथा एक – चापाकल की ली गई जिसकी प्राक्कलित राशि रू0 96,700 थी । इसके विरूद्ध अभिकर्त्ता को रू0 93,396(जो प्राक्कलित राशि के करीब था) अग्रिम दिया गया था । फिर भी यें योजनाएँ 31 मार्च2008 तक अपूर्ण थी जिसके लिए कोई कारण भी नहीं दर्शाया गया था । अतः योजना की भौतिक स्थिति का निरीक्षण करके अग्रिम की वसूली / सामंजन की दिशा में कार्यवाही की जाय ।

(ड0) नगर पंचायत ने एक 8 शीट का शौचालय और एक तीन शीट का शौचालय रू0 2,22,300 की लागत पर पूरा किया ।

(च) शहरी गरीबों के लिए आवास का निर्माण :–

इस योजना के तहत कुल 27 लाभार्थियों का चयन किया गया लेकिन आवास निर्माण करने के बदले लाभार्थी को सीधे प्राक्कलित राशि रू0 33,800 प्रति लाभार्थी नगद भुगतान किया गया । इस प्रकार लाभार्थीयों के बीच कुल रू0 8,81,700 (प्राक्कलित राशि रू0 9,12,600 के विरूद्ध) वितरित किया गया। लेकिन समुचित अनुविक्षण के अभाव में किसी भी लाभार्थी ने आवास का निर्माण नहीं किया और सभी योजनाएँ 31 मार्च 2008 तक अपूर्ण थीं। इस प्रकार योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और रू0 8,81,700 का व्यय निष्फल हुआ जो दोषी व्यक्तियों से वसूलनीय है।

(क) से (च) के पूर्ण विवरण के लिए परिशिष्ट **XIII** देखें।

26. <u>स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना</u> :–

नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2006-07 के दौरान स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत 11,41,698 रू0 का अनुदान प्राप्त हुआ । योजना पंजी एवं सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किये जाने के कारण स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनाओं की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकी । किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त मद से संबंधित योजना संचिका प्रस्तुत की गयी जिसमें से 8 योजना सड़क एवं नाली निर्माण से संबंधित थी तथा एक योजना का सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया । उक्त योजनाओं की प्राक्कलित राशि 11,48,071 रू0 थी जिसमें से 4 योजनाएँ पूर्ण की गयी और पूर्ण करने में 7,09,665 रू0 का व्यय हुआ। शेष 5 योजनाएँ मार्च 2008 तक अपूर्ण थीं तथा अपूर्ण योजनाओं में अभिकर्त्ता के पास रू0 3,59,000 लंबित अग्रिम था जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट XIV पर दिया गया हैं ।

अपूर्ण योजनाओं की भौतिक स्थिति की जाँच की जाए तथा लंबित अग्रिम के समायोजन अथवा वसूली की दिशा में समुचित कदम उठायें जाएँ।

27. <u>अधिक भुगतान</u> :-

(क) निम्नलिखित योजनाओं में अभिकर्त्ताओं को मापी पुस्तिका की राशि अथवा प्रस्तुत किये गये अभिश्रव एवं मस्टर रौल की राशि से कुल मो0 17,704.00 रू0 की राशि का अधिक भुगतान किया गया।

क0 सं0	योजना सं0	प्राक्कलित राशि रू0	अभिकर्त्ता का नाम	मापी पु0की राशि रू0	अभिश्रव एवं मस्टर रौल की राशि रू0	कुल भुगतान अग्रिम सहित रू0	अधिका भुगतान
1	-/-(स्0ज0श0रो0यो0)	284100	श्री त्रिपुरारी सहाय	284000	284000	284100	100
2	1/04-05(ग0ब0)	856400	श्री सूर्यदेव प्र0सिंह, अमीन	854062	853608	854062	454
3	5/04-05(एकादश)	73500	-तथैव -	73342	56350	73500	17150
कुल							17704

अतः अधिक भुगतान की राशि 17,704 रू0 की वसूली संबंधित अभिकर्त्ता से किया जाए ।

(ख) योजना संख्या - 2/04-05 (समिति कोष)

योजना का नाम - कार्यालय स्टोर की मरम्मति एवं हाते में मिट्टी भराई ।

प्राक्कलित राशि - 15,100 रू0

43

अभिकर्त्ता का नाम – श्री विमल चौधरी, अनु0नि0
कुल भुगतान अग्रिम सहित – 14,658 रू0
मापी पुस्तिका की राशि – 14,658 रू0
योजना की भौतिक स्थिति – पूर्ण
अंकेक्षण टिप्पणी :–

उक्त योजना के मापी पुस्तिका के अनुसार आकस्मिकता व्यय के अतंर्गत 5% राशि अर्थात 703 रू0 का भुगतान अभिकर्त्ता को किया गया जबकि आकस्मिता व्यय को मात्र 1% किया जाना चाहिए था अर्थात अभिकर्त्ता को 563 (703–140) रू0 का अधिक भुगतान किया गया अतः अध्का भुगतान की राशि 563 रू0 की वसूली संबंधित अभिकर्त्ता से की जाए ।

(ग) योजना संख्या – 3/03–04 (गं0ब0)
योजना का नाम – जयनगर मुख्य सड़क से महेश्वर राम के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य ।
प्राक्कलित राशि – 1,26,000 रू0
अभिकर्त्ता का नाम – श्री सुर्यदेव प्रसाद सिंह, अमीन
कुल भुगतान अग्रिम सहित – 1,22,886 रू0
मापी पुस्तिका की राशि – 1,22,886 रू0
योजना की भौतिक स्थिति – पूर्ण
अंकेक्षण टिप्पणी :–

उक्त योजना के तकनीकी स्वीकृति के अवलोकन के दौरान पाया गया कि तकनिकी स्वीकृति में गलत जोड़ के कारण कुल योग 1,26,000 रू0 हुआ जबकि वास्तव में इसे 1,01,890 रू0 होना चाहिए था अतः 24,110 रू0 (1,26,000–1,01,890) का अधिक तकनिकी स्वीकृति दिया गया तथा उसी के अनुरूप अभिकर्त्ता को 1,22,886 रू0 का भुगतान किया गया अर्थात 20,996 रू0 (122886–101890) का अधिक भुगतान अभिकर्त्ता को किया गया अतः अधिक भुगतान की राशि 20,996 रू0 की वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति से किया जाए ।

(घ) योजना संख्या – 4/02–03 (समिति कोष)
योजना का नाम – मैक्सी बस स्टैण्ड में मिट्टी भराई तथा सोलिंग कार्य ।
प्राक्कलित राशि – 90,800 रू0

अभिकर्त्ता का नाम – श्री सुर्यदेव प्रसाद सिंह, अमीन

कम सं0	अभिश्रव सं0	चेक सं0	तिथि	राशि रू0
1	383	785144	31.03.03	30,000
2	7	785147	07.04.03	30,000
3	133	785762	29.05.03	20,000
कुल				80,000

मापी पुस्तिका की राशि – 43,311 रू0

योजना की भौतिक स्थिति – अपूर्ण

अंकेक्षण टिप्पणी :–

उक्त संचिका के अवलोकन के दौरान पाया गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी के पत्र संख्या 316 दिनांक 29.02.2004 एवं 238 दिनांक 14.02.2004 के द्वारा निर्देश दिया गया कि उक्त मापी का मस्टर रौल एवं अभिश्रव को जमा किया जाए तथा शेष राशि 36,689 (80,000–43,311)रू0 का 12% सूद के साथ अभिकर्त्ता से वसूली की जाए ।

किन्तु आज तक (मार्च 2008) न तो अभिकर्त्ता के द्वारा कोई राशि जमा की गयी और न ही उक्त अभिश्रव एवं मस्टर रौल ही जमा किया गया ।

किन परिस्थितियाँ में अनुमण्डल पदाधिकारी के आदेशों को नहीं लागु किया गया, किसने आदेश को नहीं लागु कर अभिकर्त्ता को फायदा पहुँचाने को दिया इसके बारे में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ इसकी जाँच की तथा कुल मो0 41,112 रू0 (36,689+4,423) की वसूली संबंधित अभिकर्त्ता से किया जाए ।

28. <u>अनियमित भुगतान</u> :–

योजना का नाम :–नगर पंचायत जयनगर के नाली सफाई से संबंधित योजना ।

प्राक्कलित राशि – 9,971

अभिकर्त्ता का नाम – श्री त्रिपुरारी सहाय, क0अ0

कुल भुगतान –9,970रू0

मापी पुस्तिका की राशि – 9970रू0

योजना की भौतिक स्थिति :– पूर्ण

अंकेक्षण टिप्पणी :–

उक्त योजना की संचिका के अवलोकन के दौरान पाया गया कि मस्टर रौल में मजदूरों की मजदूरी की राशि की प्राप्ति अर्थात अंगुठे का निशान या हस्ताक्षर मौजुद नहीं था अतएव कुल भुगतान की राशि 9,970 रू0 को मजदूरों के मजदूरी पर व्यय नहीं किया गया ।

अतः उक्त मस्टर रौल पर अभिकर्त्ता को किया गया भुगतान 9,970 रू0 अनियमित है तथा उक्त अनियमित भुगतान की राशि 9,970 रू0 की वसूली संबंधित अभिकर्त्ता से किया जाए ।

29. **निष्फल व्यय** :-

योजना का नाम - आनंदपुर मोहल्ला में खरंजाकरण ।

प्राक्कलित राशि - 1,94,000 रू0

अभिकर्त्ता का नाम - श्री सुर्यदेव प्रसाद सिंह, अमीन

अग्रिम :-

कम सं0	अभिश्रव सं0	चेक सं0	तिथि	राशि रू0
1	286	0065707	28.01.06	7,500
2	290	0065709	07.02.06	1,00,000
3	307	0065720	13.02.06	65,000
कुल				1,72,500

मापी पुस्तिका की राशि - 47,135रू0(पारित नहीं)

अभिश्रव एवं मस्टर रौल की राशि - शून्य

कार्योदेश के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि - 28.02.06

कार्य की भौतिक स्थिति - अपूर्ण

योजना का संख्या 9/04-05(एकादश)

योजना का नाम - विलटु पासवान के घर से मेथूर पासवान के घर तक सड़क निर्माण ।

प्राक्कलित राशि - 84,000 रू0

अभिकर्त्ता का नाम - श्री विमल कुमार चौधरी, अनु0 नि0

कम सं0	अभिश्रव सं0	चेक सं0	तिथि	राशि रू0
1	8	0059095	07.04.05	7500
2	23	0061122	12.05.05	15000
3	184	0061132	21.07.05	19500
4	184	444581	21.07.05	30000
कुल				72000

मापी पुस्तिका की राशि - 21,188रू0(पारित नहीं)

कार्य की भौतिक स्थिति - अपूर्ण

अंकेक्षण टिप्पणी :-

उक्त कार्यो में सड़क निर्माण के कार्य में मात्र मिट्टी का कार्य कराया गया तथा मिट्टी कार्य की भी मापी पुस्तिका अभियंता के द्वारा जाँच नहीं की गयी तथा मिट्टी का कोई अभिश्रव एवं मस्टर रौल भी प्रस्तुत नहीं किया गया तथा कार्यपलक पदाधिकारी के द्वारा मापी पुस्तिका पारित भी नहीं किया गया ।

मिट्टी कार्य के बाद ईर्टीकरण के अभाव में उक्त कार्य भी लंबा समय अंतराल तक छोड़ दिये जाने के कारण निष्फल रहा अतः उक्त कार्यो में दिया गया अग्रिम 2,44,500 रू0 (1,72,500+72,000) की वसुली संबंधित अभिकर्त्ता से किया जाए ।

30. <u>अग्रिम की वसूली</u> :-

योजना का नाम :-N.H 104 से तारा चन्द के घर तक पी0 सी0सी0कार्य।

प्राक्कलित राशि :- 1,45,000रू0

अभिकर्त्ता का नाम :- श्री सूर्यदेव प्रसाद सिंह, अमीन

अग्रिम :-

कम सं0	अभिश्रव सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि रू0
1	285	0065706	28.01.06	15,000
2	289	0065708	07.02.06	1,15,000
कुल				1,30,000

मापी पुस्तिका की राशि :- शून्य

अभिश्रव एवं मस्टर रौल की राशि - शून्य

कार्यादेश के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि - 28.02.06

योजना की भौतिक स्थिति - अपूर्ण

योजना का नाम -कमला रोड से पोखर तक पी0सी0सी0 सड़क नि0 ।

प्राक्कलित राशि - 59,200 रू0

अभिकर्त्ता का नाम :- श्री सूर्यदेव प्रसाद सिंह, अमीन

अग्रिम :-

कम सं0	अभिश्रव सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि रू0
1	624	850214	22.02.02	10,000
2	4	850220	08.04.02	15,000
3	98	779434	23.05.02	15,000
4	सिमेन्ट 110 बैग @ Rs. 148 बैग			16,280
कुल				56,280

मापी पुस्तिका की राशि 59,202 (मापी पारित नहीं)
योजना की भौतिक स्थिति – अपूर्ण
अंकेक्षण टिप्पणी :–

उक्त कार्यो मे अभिकर्त्ताओं के द्वारा अभी तक नह ता कोई मस्टर रौल, अभिश्रव और न ही कोई मापी पुस्तिका (पारित नहीं) ही प्रस्तुत किया गया । समिति कोष कार्य में प्रस्तुत न तो कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पारित था और न ही सं0 अभियंता को दिखाया गया था । अतः उक्त कार्यो का स्थल निरीक्षण किया जाए तथा कार्य नहीं होने के स्थिति में कुल अगिम की राशि 1,86,280 रू0 (1,30,000+56,280) की वसूली संबंधित अभिकर्त्ता से किया जाए ।

31. **ब्रिकी कर एवं रॉयल्टी की कटौती नही / अधिक भुगतान**–

विभिन्न मदों के कार्यो के योजना संचिकाओं के नमुना जाँच के दौरान पाया गया कि अभिकर्त्ता के अंतिम विपत्रों से रॉयल्टी के मद में कुल मो0 रू0 1,64,269.00 तथा ब्रिकी कुल मो0 रू0 481149 की कटौती नहीं की गयी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट XV पर दिया गया है । कर के मद में जिसके फलस्वरूप अभिकर्त्ताओं को कुल मो0 रू0 6,45,418.00 अधिक भुगतान हुआ अतएवं अधिक भुगतान की राशि रू0 6,45,418.00 की वसूली संबंधित अभिकर्त्ता से किया जाए तथा संबंधित विभाग को विप्रेषित किया जाए ।

32. **दैनिक मजदुरी पर भुगतान** :–

नगर पंचायत जयनगर द्वारा वित्तीय वर्ष 2001–02 से 2006–07 के दौरान कुल मो0 रू0 6,77,264.00 रू0 दैनिक मजदूरों के वेतन पर भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट –**XVI** पर दिया गया है।

नगर विकास विभाग (बिहार सरकार) के पत्र संख्या 4 न0 अ0/ –1/99/1886/ न0वि0वि0 दिनांक 25.06.01 एवं बाद में समय –समय पर दिये गये दिशा निर्देशों द्वारा सभी निकायों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी व्यक्ति को दैनिक मजदुरी पर नहीं नियुक्त किया जाए ।

किन्तु उक्त निर्देशों की अवहेलना करते हुए दैनिक मजदूरी पर रू0 6,77,264.00 व्यय किया गया जो कि अनियमित है। अतएव सरकार द्वारा

उक्त व्यय को स्वीकृति मिलने तक उक्त व्यय की राशि रू0 6,77,264.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है ।

33. <u>अग्रिम</u> :-

वित्तिय वर्ष 2005-06एवं 2006-07 के अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया । वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक के अग्रिम की स्थिति निम्नलिखित है ।

कम सं0	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	प्रारम्भिक शेष	1407874.91	4266209.56	2033849.56	2693274.56
2	वर्ष के दौरान अग्रिम	5259000	1023400	2060855	1260450
3	कुल योग	6666874.91	5289609.56	4094704.56	3953724.56
4	वर्ष के दौरान समायोजन	2400665.35	3255760	1401430	113415.86
5	अंतशेष	4266209.56	2033849.56	2693274.56	3840308.70

उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि 31.03.05 को विभिन्न व्यक्तियों के पास 38,40,308.70 रू0 लांबित अग्रिम था जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट -**XVII** एवं **XVIII** पर दिया गया है । उक्त अग्रिम के समायोजन अथवा वसूली के दिशा में समुचित कदम उठायें जाए ।

(ii) वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किये जाने के कारण उक्त वित्तीय वर्ष में दिये गये अग्रिम कुल मो0रू0 1,12,85,876 के समायोजन की स्थिति का पता नहीं चल सका । विस्तृत विवरणी परिशिष्ट -ग्ग पर दी गयी है । अतएव अग्रिम पंजी का संधारण किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान दिये गये अग्रिम के समायोजन अथवा वसूली की दिशा में समुचित कदम उठायें जाएँ ।

(iii)वित्तीय वर्ष 1987-88 से पूर्व का अग्रिम कुल रू0 10,880.75 का अग्रिम धारियों अब सेवा निवृत हो चुके हैं विस्तृत विवरणी परिशिष्टि -**XVIII** पर दिया गया है । अतएव उक्त लांबित अग्रिम की वसूली संबंधित व्यक्ति अथवा जिम्मेवार व्यक्ति से वसूली की जाए ।

34. <u>अभिश्रवों की प्रस्तुति नहीं</u> -

अभिश्रवों एवं रोकड़बहीयों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल मो0 रू0 1,94,995 का अभिश्रव आवश्यक जाँच हेतु लेखा परीक्षा में

प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट –XX पर दिया गया हैं ।

अतएव उक्त अभिश्रवों के माध्यम से किए गए भुगतानों की वास्तविकता की जाँच नहीं कि जा सकी अतः उक्त व्यय की राशि रू0 1,94,995.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अतंर्गत रखा जाता हैं ।

35. <u>कार्यपालक पदाधिकारी से वार्त्तालाप</u> :–

लेखा परीक्षा के दौरान जारी किए गए विभिन्न आपत्तियों पर कार्यपालक पदाधिकारी से समय–समय पर चर्चा की गयी ।

36. <u>अंकेक्षण परिणाम</u> :–

लेखा परीक्षा का परिणाम निम्नलिखित है ।

(क) अंकेक्षण के द्वारा जमा करायी गयी राशि –रू. **24,514.00**

(ख) वसूली के लिए सूझाई गयी राशि –रू. **96,74,494.75**

(ग)अंकेक्षण आपत्ति के अधिन रखी गयी राशि रू. **6,77,264.00**

(घ) अधिभार प्रकिया द्वारा वसूली के लिए सूझाई गयी राशि – रू. **14,000**

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट **XXI** पर दिया गया हैं)

37. <u>सामान्य अभ्युक्ति</u> :–

नगर पंचायत जयनगर के अभिलेखों का संधारण असंतोषप्रद था । कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे अग्रिम पंजी, करों की मांग एवं वसूली पंजी, अनुदान एवं ऋण पंजी, योजना पंजी, का संधारण नहीं किया गया । विभिन्न योजनाओं में अभिकर्त्ताओं के पास बिहार नगर पालिका लेखा नियमावली में वर्णित अभिलेखों को संधारित कराने में यथा शीघ्र कार्यवाही की जाए ।

वि0कु0
बिनोद कुमार II
अनुभाग अधिकारी

सं0स्था0ले0प0शा0(अधिभार) 1043 दिनांक- 11/7/08

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत जयनगर को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अग्रसारित करते हुए अनुरोध किया जाता है कि विशेष रूप से बोर्ड की बैठक में यह प्रतिवेदन रखा जाए तथा प्रतिवेदन प्राप्ति तिथि के तीन महीनों की समाप्ति पूर्व आपतियों का कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय को उचित माध्यम से निष्पादन हेतु भेजा जाए ।

ह0/-

लेखा परीक्षा अधिकारी

अधिभार

सं0स्था0ले0प0शा0(अधिभार) 1044 दिनांक- 11/7/08

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित

1. सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार सरकार पटना ।
2. जिलाधिकारी, मधुबनी ।
3. अनुभाग अधिकारी /अधिभार ।

11/7/08

लेखा परीक्षा अधिकारी

अधिभार